

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कंमाक / राशिक / आरटीई / 2020 / ३३६
प्रति,

भोपाल, दिनांक २०.१.२१

- 1 कलेक्टर
समस्त जिला—म.प्र.
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला—म.प्र.
- 3 विकासखंड श्रेत समन्वयक
जनपद शिक्षा केन्द्र, समस्त

विषयः— शिक्षा का अधिकार—सत्र 2021–22 हेतु प्रायवेट स्कूलों की नवीन मान्यता आवेदन के संबंध में।

सन्दर्भः— 1—राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र कंमाक 8225 भोपाल दिनांक 14.12.2020

2—म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कंमाक / एफ ३७-२ / २०२० / २०-३ भोपाल दिनांक 31.12.2020

सन्दर्भित पत्र सरल कंमाक—१ के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अशासकीय स्कूलों के लिये सत्र 2021–22 की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया एवं समय—सारणी जारी की गयी है। जिन अशासकीय स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है उनकी मान्यता आठो सियूल 31 मार्च 2022 तक किये जाने हेतु सन्दर्भित पत्र सरल कंमाक—२ द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः इन अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- 1 यदि कोई सरथा सत्र 2021–22 से नवीन अशासकीय स्कूल संचालित करना चाहती है तो पूर्ण वर्णित प्रक्रिया अनुसार मान्यता आवेदन करना अनिवार्य है।
- 2 यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल में कक्षा की वृद्धि की जाना है अर्थात् यदि कोई स्कूल कक्षा 5वीं तक है परन्तु उसे कक्षा 8वीं तक वृद्धि करना चाहते हैं तो उनके द्वारा मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकता है।


सत्र 2021–22 की मान्यता हेतु निम्नानुसार संशोधित समय सारणी जारी की जाती है—

कं	कार्यवाही	कार्यवाही हेतु समय सीमा
1	प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन	30 जनवरी 2021 तक
2	योआर.सी.सी. द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेपित करना	अशासकीय स्कूल द्वारा आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर
3	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण	45 कार्य दिवस
4	कलेक्टर के समक्ष आपील करना	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ति दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा।
5	कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण	स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक

कृपया उक्त समय—सीमा में निराकरण करने का कष्ट करें।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

प्रस्तुति 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (MANDSAUR), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक:/19114403/स्कूल आई.डी. - 55241
प्रति,

दिनांक:-

प्रबंधक,

(Saraswati Vidhya Mandir Higher Secondary School, Mandsaur)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 12/01/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Saraswati Vidhya Mandir Higher Secondary School, Mandsaur, Saraswati Vidhya Mandir Higher Secondary School, Sanjeet Marg, Mandsaur mp को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वर्तित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दृष्टि में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बैंटर्टें कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कौपिटेशन फीस का संयंग नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा-
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को भारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तिविशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बैंटर्टें कि वर्तमान में कार्यरत जैशिक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;

Signature valid

Digitally signed by
Ratap Lal Carpenter .
Date: 2018/07/27
21:42:57 IST .Reason: Digitally Signed
Location: NIO स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।



- स्कूल व्यारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं।

	सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	18000	18000
10	स्कूल का निश्चित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	6000	5000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	12000	13000

D. अधीसंरचना का विवरण

	Rooms as			पोर्टल में दर्ज		
	कक्ष	per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	36	500	36	500	500
2	कार्यालय कक्ष-सह-भेणडार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	4	500	4	300	300
3	भोजनालय-सह-भेणडार	0	0	0	0	0

E. अन्य सुविधाएँ

		पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	4800	4000
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	8	8
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Well	Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	1	1
8	शौचालय का प्रकार (आरतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्रिम सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा घार्टड एकाउन्टेंट व्यारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..191141014.. एवं डाइसकोड (DISE) 23190623755 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्यारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्यारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति मुनिष्ठित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला MANDSAUR

मध्यप्रदेश